न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 191/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. विजय सिंह पिता लाल सिंह जी, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)
2. नाथु सिंह पिता रघुनाथ सिंह जी, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)
3. गंभीर सिंह पिता रघुनाथ सिंह जी, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)
4. देवी सिंह पिता रघुनाथ सिंह जी, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सरदार सिंह पिता स्वर्गीय रूप सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)
2. उदय सिंह पिता स्वर्गीय रूप सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती देवी कुंवर पत्नी स्वर्गीय श्री उदय सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, वाया–इंटालीखेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. मृतक पुत्री श्रीमती गेंदु कुंवर के वारिसान :–

2/2/1. अर्जुनसिंह पिता श्री रतनसिंह जी राजपूत नाबालिग जरिये पिता श्री रतनसिंह राजपूत, निवासी मुकाम पोस्ट पहाडा वाला वाड़ा, भबराना, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2/2. करणसिंह पिता श्री रतनसिंह जी राजपूत नाबालिग जरिये पिता श्री रतनसिंह राजपूत, निवासी मुकाम पोस्ट पहाडा वाला वाड़ा, भबराना, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2/3. रतनसिंह पिता श्री किशोरसिंह जी राजपूत, निवासी मुकाम पोस्ट पहाडा वाला वाड़ा, भबराना, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. श्रीमती मेतु कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह जी राजपूत पत्नी प्रतापसिंह जी चौहान, निवासी पहाडा वाला वाड़ा, भबराना, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती हंतु कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह जी राजपूत पत्नी फतहसिंह जी चौहान, निवासी मुकाम कुण्डली, पोस्ट कराकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

3. रतन सिंह पिता स्वर्गीय रूप सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

4. नाथु सिंह पिता नेण सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

5. देवी सिंह पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

6. मान सिंह पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

7. इन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय ओनाड़ सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

8. गोपाल सिंह पिता स्वर्गीय ओनाड़ सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

9. भारत सिंह पिता स्वर्गीय ओनाड़ सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

10. लाल सिंह पिता स्वर्गीय जोरावर सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

11. चतर सिंह पिता स्वर्गीय केसर सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

12. भेरू सिंह पिता स्वर्गीय केसर सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

13. मनोहरसिंह सिंह के बजाय :–

13/1. भंवर सिंह पिता स्वर्गीय मनोहर सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

13/2. श्रीमती रेखा कंवर पुत्री स्वर्गीय मनोहर सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

13/3. श्रीमती वीना कंवर पुत्री स्वर्गीय मनोहर सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

13/4. श्रीमती अमीर कंवर पत्नी स्वर्गीय मनोहर सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

14. चन्दन सिंह पिता स्वर्गीय ओनाड़ सिंह जी राजपूत, निवासी बडावली, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

15. भूमिधारी तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर(राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सराडा
दिनांक 31.10.2017, प्र.सं. 18/17

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री आलोक जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 13/1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 15

———::———

निर्णय **दिनांक 22–11–2018**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 12 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व प्रकरण संख्या 54/2012 निर्णय दिनांक 14–07–2017 से हालांकि आदेशिका पर उसका उल्लेख नहीं है, परन्तु डिक्री जारी करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 3349 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, उसमें से 0.0400 हैक्टर भूमि कम कर वादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर वादी संख्या 1 व 3 को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वादीगण उक्त 0.0400 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ डिक्री जारी की गयी है कोई औपचारिक आदेश इस बाबत् जारी नहीं किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14–07–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 43/2015 प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09–01–2017 को निम्न प्रेक्षणों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया :–

''हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह स्पष्ट आया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आवेदन आदेश 1 नियम 10 पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है तथा अपीलान्ट को प्रोपर सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने पर नामकायमी हेतु प्रस्तुत आवेदन पर भी कोई निर्णय पारित नहीं किया है एवं जिन राजीनामे के आधार पर प्रकरण में डिक्री जारी की गयी है उस पर मृतक के सभी वारिसान के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं जो डिक्री पारित की गयी है वह मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गयी है। हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ राजीनामे को आधार बनाकर उक्त प्रकरण में डिक्री जारी कर दी गयी है, जबकि पक्षकारान द्वारा किये गये अभिकथनों के आधार पर व राजस्व रेकार्ड से उक्त राजीनामा किस प्रकार से प्रमाणित होता है, इस बाबत् कोई विवेचन नहीं किया है, जबकि पक्षकारों के अधिकारों का प्रत्यायोजन हमेशा विधि के अनुरूप ही होता है न की राजीनामे के आधार पर। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का आवेदन लम्बित होते हुए भी उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि के अनुक्रम में नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–07–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये आब्जरवेशन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट के आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पर उसके पक्षकार बनाये जाने हेतु निर्णय पारित करें एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के कायम मुकाम बाबत् भी निर्णय पारित करें तथा प्रकरण में राजस्व रेकार्ड के आधार पर पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।''

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रेक्षण आदेश के क्रम में पुनः प्रकरण संख्या 18/2017 दर्ज कर दिनांक 31–10–2017 को निर्णय पारित करते हुए अपने पूर्व आदेश को ही बहाल रखा, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13/1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 औपचारिक पक्षकार राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की तथा राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को समझे बिना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना केवल मात्र यह कहकर कि प्रार्थीगण इस भूमि के खातेदार नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो नॉन स्पीकिंग की परिभाषा में आता है। प्रार्थीगण उक्त वाद में इसलिए पक्षकार बनना चाहते थे क्योंकि उक्त भूमि जिसके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है वो रास्ते की भूमि है, जिसके पूर्व में अपीलान्ट की भूमि है तथा वर्षो से इसी रास्ते से अपने खेतों पर आते–जाते रहे हैं। मूल पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी में चल रही था तथा प्रतिवादी संख्या 1 की नाम कायमी में चल रही थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई कार्यवाही नहीं कर आदेशिका में यह लिखकर कि वारिसान के सम्मन व प्रतिवादी के सम्मन तामिल होने के पश्चात भी कोई उपस्थित नहीं तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये, जबकि वादीगण द्वारा न तो कोई वारिसान की तलबी करायी गयी न ही प्रतिवादी संख्या 2 की कोई तलबी करायी गयी, न ही नक्शा तलवाना पेश किया गया, न ही सम्मन पेश किये, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से उनकी तामिल मानते हुए एकतरफा कार्यवाही के जो आदेश दिये हैं वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के प्रेक्षणों आदेश की अनदेखी करते हुए अपने पूर्व निर्णय अनुसार ही निर्णय पारित कर दिया। आप न्यायालय द्वारा

अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये गये थे कि ''पक्षकारों के अधिकारों का प्रत्यायोजन हमेशा विधि के अनुरूप ही होता है न की राजीनामे के आधार पर'' ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति पत्र के आधार पर बंटवारा हो जाना मानते हुए व आराजी नंबर 3339 रकबा 7 बिस्वा में 4 बिस्वा भूमि जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 को देने का निर्णय दिया है, वह गलत है, क्योंकि उक्त भूमि रास्ते की भूमि है, जिसका उपयोग अपीलान्टगण पर वर्षो से अपने खेतों पर आने–जाने के लिए करते चले आ रहे हैं। इस कारण अपीलान्टगण व्यथित पक्षकार हैं।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह स्पष्ट आया कि प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 चन्दनसिंह की तलबी में चल रहा था तथा प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 मनोहरसिंह की नाम कायमी नहीं की गयी थी। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिये गये प्रेक्षण आदेशों की भी अवहेलना की गयी है तथा विवादित भूमि रास्ते की होने बाबत् किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा इस न्यायालय के प्रेक्षण आदेशों की भी पालना नहीं की गयी है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में स्पीकिंग निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22–01–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

कूका पिता वेजा जी गमेती, निवासी सवीना खेडा, तहसील गिर्वा व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**30 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**12**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**01**.....माह.....**03**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री धनसिंह** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**01**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।